



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272491
CG-DL-E-12052026-272491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 323]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

सं. 18/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 357(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, जिसे सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी III में, क्रमांक 12 के सामने :

- I. स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- II. स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "4" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 13 मई, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, को सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2026, जिसे सा.का.नि. 330 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

No. 18/2026-Customs

G.S.R. 357(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, namely :-

In the said notification, in the TABLE III, against S. No. 12, -

I. in column (5), for the entry, the entry “10” shall be substituted;

II. in column (6), for the entry, the entry “4” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 13th day of May, 2026.

[F. No. 354/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, and was last amended by notification No. 14/2026-Customs, dated 30th April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 330(E), dated the 30th April, 2026.